मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक :एफ 11-10/2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक 28 अगस्त, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- मंत्रि परिषद संक्षेपिका पर वित्त विभाग का अभिमत बावत् ।

—◆—

यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा ऐसे विषयों की मंत्रिपरिषद संक्षेपिकाएं भी वित्त विभाग के अभिमत हेतु भेजी जा रही हैं, जिस पर मध्य प्रदेश शासन के कार्यपालक नियमों के अनुसार वित्त विभाग के अभिमत की अपेक्षा नहीं रहती है। उदाहरणस्वरूप-सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को दण्ड।

2/ उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को दण्ड देने की म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम में प्रक्रिया निर्धारित है एवं दण्ड दिया जाना प्रशासकीय स्वरूप का निर्णय है ।

3/ अतः ऐसी मंत्रिपरिषद् सेक्षेपिकाएं जो कि वित्त विभाग के स्थायी नियमों/निर्देशों के अनुसार प्रचलित हैं उन्हें वित्त विभाग के अभिमत हेतु भेजा जाना आवश्यक नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 11।-10/2017/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2017

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
7. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
9. संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
10. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
11. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
12. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग